IN THE COURT OF SUB DIVISIONAL JUDICIAL MAGISTRATE, MOHANIA

Present : Ankita Raj, SDJM, Mohania

Kuchhila PS case no. 33/2004, Reg no. 4962/2022

State of Bihar

Vs

Kashinath Singh & Others.

24.07.2026	अभिलेख आज कार्यालय से प्रस्तुत हुआ। अभिलेख अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह वाद सूचिका के लिखित बयान के आधार पर भा.द.वि. की धारा 147, 148, 323, 342, 452, 379, 307, 376 के तहत अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 28.10.2004 को प्राथमिकी दर्ज किया गया। प्राथमिकी के लिए दिये गये लिखित बयान में वर्णित कथन, आरोप पत्र एवं केस दैनिकी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूध दिनांक 20.01.2014 को भा.द.वि. की धारा 323, 504 में संज्ञान लिया गया तथा दिनांक 14.06.2019 को अभियुक्तगण को भा.द.वि. की धारा 323, 504 अतंर्गत आरोप गठन कर हिन्दी में सुनाया समझाया गया है। तत्पश्चात् अभिलेख साक्ष्य हेतु नियत हुआ। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण आरोप गठन के बाद से ही दिनांक 13.08.2024 से लगातार अनुपस्थित है। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि दिनांक 13.08.2024 से लगातार अभिलेख साक्ष्य हेतु दिनांक 30.01.2026 तक लंबित रहा, परंतु अभियोजन द्वारा एक भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया। तत्पश्चात अभियोजन साक्ष्य दिनांक 30.01.2026 को बंद किया गया। यह अभिलेख इस न्यायालय के सबसे पुरानों वादों में से एक है, जो 2004 से ही लम्बित है। जैसा कि द.प्र.स. की धारा 258 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी समन–मामले में कोई प्रथम वर्ग दण्डाधिकारी या मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक दण्डाधिकारी ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, कार्यवाही को किसी भी प्रकम में कोई निर्णय सुनाए बिना रोक सकता है और जहां मुख्य साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने के पश्चात् इस प्रकार कार्यवाहियां रोकी जाती हैं वहां दोषमुक्ति का निर्णय सुना सकता है और किसी अन्य दशा में अभियुक्त को छोड़ सकता है और ऐसे छोड़ने का प्रभाव उन्मोचन होगा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख अवलोकन पर यह पाया गया कि इस मामले में आगे कार्यवाही जारी रखने का कोई ठोस आधार नहीं दिखता है, तथा यह अभिलेख निर्धारित समयावधि से ज्यादा समय से विचारण हेतु लम्बित चला आ रहा है।	

अतः द.प्र.स. की धारा 258 के प्रावधानों के तहत, इस मामले मे आगे की कार्यवाही स्थगित की जाती है और अभियुक्तगण को इस मामले से रिहा किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को निश्चित समयावधि के अन्दर अभिलेखागार में जमा कराये।

लेखापित
04/7/26
एस.डी.जे.एम
मोहनिया,कैमूर